एड्स निगरानी केन्द्रों की समीक्षा

7276. **श्री कनक सिंह मोहनसिंह मंगरोला:**
श्री आस मोहम्मद:

क्या **प्रधान मंत्री** 16 मार्च, 1995 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 635 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "एड्स" निगरानी केन्द्रों के कार्यकरण की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो उस समीक्षा के परिणाम क्या रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर): (क) और (ख) एड्स मानीटरिंग केन्द्रों के कार्यकरण की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जब भी आवश्यक होता है, उपचारात्मक उपाए किए जाते हैं।

दवाओं की आपूर्ति

7277. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अपने ही स्तर पर राज्यों की दवाओं की आपूर्ति करती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और दवा-वार कितनी-कितनी मांग की गयी है; और

(ग) मांग के अनुरूप दवाओं की आपूर्ति न किये जाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर): (क) से (ग) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए औषधियों की खरीद और आपूर्ति राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से की जाती है। तथापि, मलेरिया, क्षय रोग, कुष्ठ, दृष्टिहीनता, एड्स की रोकथाम के लिए प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रमों (उपकेन्द्रों के लिए औषधें) इत्यादि के लिए अनुमोदित प्रतिमानों के अनुसार औषधों की आपूर्ति की जाती है।

आयुर्वेदिक उत्पादों का अशुद्ध होना

7278. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि हाल ही में कुछ प्रसिद्ध आयुर्वेदिक उत्पाद अशुद्ध पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उत्पादों के निर्माताओं के नाम क्या हैं; और

(ग) इसकी निगरानी करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये है और इस दिशा में कितनी सफलता मिली है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर): (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आयुर्वेदिक संस्थाओं को दवाएं उपलब्ध कराया जाना

7279. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का विकास करने के लिए और देश की आयुर्वेदिक संस्थाओं को आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रयास किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर): (क) से (ग) सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी सहित आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए निम्नलिखित प्रयास किए हैं:

(i) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी के लिए एक अलग विभाग की स्थापना।

(ii) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी की शैक्षणिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण; भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी की स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थाओं को सुविधाओं के विकास के लिए सहायता।

(iii) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी के

डाक्टरों का पुनरभिविन्यास प्रशिक्षण तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी के कर्मचारियों को प्रशिक्षण।

(iv) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी औषधों का मानकीकरण तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति में औषध नियंत्रण को सुदृढ़ बनाना।

(v) आयु भेषज-संहिता समिति, सिद्ध भेषज संहिता समिति, यूनानी भेषज संहिता तथा होम्योपैथी भेषज संहिता समिति के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी के भेषजकोश संबंधी कार्य को सुदृढ़ बनाना।

(vi) भारतीय चिकित्सा भेषज-संहिता प्रयोगशाला तथा होम्योपैथी भेषज-संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी औषधों की जांच के लिए प्रयोगशाला सुविधाओं की स्थापना।

(vii) अच्छी किस्म की आयुर्वेदिक/यूनानी/सिद्ध दवाइयां उपलब्ध करने के लिए मोहान, अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश में भारतीय चिकित्सा भेषजिक निगम लिमिटेड की स्थापना।

(viii) केन्द्रीय सहायता की योजना के जरिए औषधीय पादपों का विकास।

(ix) अनुसंधान परिषदों अर्थात् केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी में अनुसंधान करना।

(x) विभिन्न राज्य सरकारें भी आयुर्वेदिक अस्पताल, औषधालय खोल रही हैं तथा इन संस्थाओं को आवश्यक आयुर्वेदिक दवाइयां उपलब्ध कर रही हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के माध्यम से भी आयुर्वेदिक दवाइयां उपलब्ध की जा रही हैं।

प्रजनन क्षमता के सम्बन्ध में अध्ययन

7280. **श्री संघ प्रिय गौतम:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लोगों के प्रजनन क्षमता के सम्बन्ध में अब तक कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले कुछ वर्षों में देश में इसमें अत्यधिक गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो अन्य विकसित/विकासशील देशों में प्रजनन क्षमता की तुलना में भारत में प्रजनन क्षमता की सीमा क्या है; और

(ङ) सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के इलाज के लिए क्या कदम उठाए हैं ताकि उनमें सामान्य प्रजनन क्षमता बनी रहे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (1992-93) के अनुसार भारत में कुल प्रजननता-दर 3.4 है।

(ग) जी, हां। 1991 में कुल प्रजननता दर 3.6 से कम हो गई है (नमूना पंजीयन पद्धति)।

(घ) विश्व के विभिन्न देशों में कुल प्रजननता-दर 1.4 से 8.4 तक के बीच है।

(ङ) छोटे परिवार के मानदण्ड का प्रचार और उसे अपनाने से संबंधित कार्यक्रमों का देश भर में कार्यान्वयन किया जा रहा है।

अविवाहित युवतियों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण

7281. **श्री संघ प्रिय गौतम:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के प्रत्येक राज्य में प्रति वर्ष अविवाहित युवतियां मां बन रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में देश में राज्य-वार कोई गहन सर्वेक्षण किया है;

(ग) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी अविवाहित युवतियों के बारे में कोई वर्ष-वार आंकड़े एकत्रित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान किए गए सर्वेक्षण का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इन कुंआरी माताओं के लिए सामाजिक दर्जा प्राप्त करने के लिए और उनका विवाह कर उचित तरीके से घर बसाने में मदद करने के लिए कोई प्रयास कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर): (क) से (च) इस विषय पर कोई सांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।